कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 837/2022/10-11 / 5078 भोपाल, दिनांक 21/11/2023

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– वन मंडल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष PF-399 के रकबा 2.21 हे. वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का– आवेदक स्वामी नित्यानंदजी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. / 6-MPR010 / 2023– BHO दिनांक 20/07/2023

----0----

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र. / 6-MPR010 / 2023–BHO दिनांक 20 / 07 / 2023 से 07 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी आवेदक संस्था एवं मुख्य वन संरक्षक, रींवा से प्राप्त हुई है प्राप्त जानकारी अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्तुत हैः–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	The proposed NFL CA area has already 0.5 to 0.6 density vegetation. So, the State Forest Department shall re-visit the proposed CA area and identify that how many plants can be planted in non-forest land. In case, it is not possible to plant 1000 saplings per ha then an additional CA on Degraded Forest Land for plantation of the balance plants shall be submitted along with CA Scheme, KML file & maps.	इस बिन्दु के सम्बन्ध में लेख है कि मुख्य वन संरक्षक, रींवा द्वारा आदेश क्रमांक / 183 दिनांक 25 / 08 / 2023 से वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र पूर्व सरई के कार्य स्थल वन कक्ष क्रमांक PF-603 के रकबा 7.55 हेक्टेयर बिगड़े वनक्षेत्र की वृक्षारोपण योजना तकनीकी स्वीकृति सहित तैयार की गई है ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–2 के अनुक्रमांक 13(1) (2) में KML File तकनीकी स्वीकृति एवं योजना सहित अपलोड की गई है।
2	A signed copy of Mining Plan shall be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के अनुक्रमांक M-2 (iv) मे अपलोड कर दी गई है।
3	The State Forest Department shall submit status of approach road for mining area.	आवेदक संस्था द्वारा पहुँच मार्ग को ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के अनुक्रमांक c-(ii)(a) के KML File में रकबा 0.0136 हे. मार्ग को लाल रंग से प्रदर्शित कर अपलोड कर दिया गया है।
4	The State Forest Department / User Agency shall submit status of safety zone and same shall be marked on KML file.	आवेदक संस्था द्वारा सेफ्टी जोन क्षेत्र को ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–1 के अनुक्रमांक c-(ii)(a) के KML File में रकबा 0.28 हे. में नीले रंग से प्रदर्शित कर अपलोड कर दिया गया है।
5	Water Conservation Plan shall be submitted.	इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा पत्र क्रमांक 22 दिनांक 21 / 11 / 2023 से लेख किया है कि माईनिंग लीज क्षेत्र के आस–पास कोई बड़ा तालाब नहीं है! अतः जल संरक्षण हेतु योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।

6	The consolidated single patch of CA area for all the three proposals in accordance with recommendation of DFO South Sagar shall be clarified.	इस बिन्दु के सम्बन्ध में लेख है कि दक्षिण वन मंडल सागर के रकबा 5.64 हेक्टेयर गैरवनभूमि में 5643 पौधे रोपित करने की क्षतिपूर्ति वनीकरण तकनीकी स्वीकृति एवं योजना सहित ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–2 में अपलोड कर दी गई है।
7	The forest area which is remaining between proposed mining area and existing road has to be developed as green belt at the cost of User Agency. A scheme for the same shall be prepared by forest department.	इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि हमारी फर्म द्वारा वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.–339 के रकबा 2.21 हेक्टेयर आवेदित क्षेत्र से लगे विद्यमान मार्ग एवं खनन क्षेत्र के मध्य भूमि पर अपने खर्चे से ग्रीनबेल्ट तैयार की जायेगी।

21.11.23

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–1 / 837/2022/10-11 / 5079 भोपाल, दिनांक 21/11/2023

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश ।

2 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश।

3 श्री ललित पंघाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975 / 76, सेक्टर 13 हुद्दा भिवानी, हरियाणा ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

21.11.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C

GST NO-08CMDPP7021F1Z5

9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

Vill.Biwan,Teh.Firojpur Jhirka,Distt.NUH(Mewat)Haryana

S.No....22.......

Date..21-11-2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक
(भू–प्रबंध)
वन भवन, भोपाल।

विषयः– वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.–399 के रकबा 2.21 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का – आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/152429/2022

संदर्भः–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र पृ0 क्रमांक/एफ–1/837/2022/10–11/3291 दिनांक 25.07.2023

––0––

उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा 07 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी का बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार है :–

1. CA क्षेत्र का पुनः परीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि 5.64 हेक्टेयर क्षेत्र में 1000 पौधें रोपित किये जा सकते है। अतः 5.64 हेक्टेयर CA क्षेत्र में 5643 पौधें रोपित करने की CA प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया गया है। शेष 7.55 हेक्टेयर सिंगरौली वनमण्डल में वनभूमि पर 7500 पौधों को रोपित करने की CA प्रोजेक्ट अपलोड कर दी गई है।
2. माईनिंग प्लान की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट–1 में अपलोड कर दी गई है।
3. माईनिंग क्षेत्र के लिये पंहुच मार्ग ऑनलाईन पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है।
4. सेफ्टी जोन क्षेत्र की KML फाईल ऑनलाईन पार्ट–1 में अपलोड कर दी गई है।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के आस–पास कोई बड़ा तालाब नहीं है। अतः जल संरक्षण हेतु योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।
6. 5.64 हेक्टेयर CA क्षेत्र में 5643 पौधें रोपित करने की CA प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया गया है। शेष 7.55 हेक्टेयर सिंगरौली वनमण्डल में वनभूमि पर 7500 पौधों को रोपित करने की CA प्रोजेक्ट अपलोड कर दी गई है।
7. फर्म यह वचन पत्र देती है कि विद्यमान रोड़ एवं प्रस्तावित खनन क्षेत्र के मध्य में उपलब्ध भूमि पर ग्रीनबेल्ट तैयार करने के लिये वचनबद्ध है।

(ललित पधांल)
स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

Prop.

GST NO-08CMDPP7021F1Z5

9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

Vill.Biwan,Teh.Firojpur Jhirka,Distt.NUH(Mewat)Haryana

S.No..................

Date..................

पृ0 क्रमांक / दिनांक

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश।

स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Prop.

GST NO-08CMDPP7021F1Z5

9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

Vill.Biwan,Teh.Firojpur Jhirka,Distt.NUH(Mewat)Haryana

S.No. 22

Date 21-11-2023

वचन–पत्र

मैं यह वचन देता हूँ कि हमारी फर्म द्वारा वनकक्ष क्रमांक PF-339 के 2.21 हेक्टेयर आवेदत क्षेत्र से लगे विद्यमान मार्ग एवं खनन क्षेत्र के मध्य भूमि पर अपने खर्चे से ग्रीनबेल्ट तैयार की जायेगी।

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

PROPRIETOR

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Prop.

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-238245

क्रमांक/मा.चि./06/2022/ 6017 सागर, दिनांक 30-11-22

प्रति,

वनमण्डल अधिकारी,
रीवा (सामान्य) वनमण्डल रीवा।

विषय :- 1. वन परिक्षेत्र हनुमना के ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि के खसरा नम्बर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन हेतु 2.80 हेक्टेयर वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक (FP/MP/MIN/152429/2022)

2. वन परिक्षेत्र मऊगंज के ग्राम हर्रईगुजरान के शासकीय भूमि के खसरा नम्बर 2/1 में खनिज पत्थर उत्खनन हेतु 4.46 हेक्टेयर वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक (FP/MP/MIN/152431/2022)

3. वन परिक्षेत्र मऊगंज के ग्राम हर्रईगुजरान के शासकीय भूमि के खसरा नम्बर 2/1 में खनिज पत्थर उत्खनन हेतु 4.59 हेक्टेयर वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक (FP/MP/MIN/152432/2022)

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक/9470 दिनांक 17.10.22, 8582 दिनांक 22.09.22, 6787 दिनांक 05.08.2022
2. इस कार्यालय का क्रमांक/मा.चि./2374 दिनांक 08.07.2022 एवं 3807 दिनांक 04.11.2022
3. उप वनमण्डल अधिकारी, देवरी का पत्र क्रमांक/1102 दिनांक 06.07.2022 एवं 1732 दिनांक 14.11.2022

—॥—

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक/3807 दिनांक 04.11.2022 के द्वारा विषयांकित प्रकरण मे प्रस्तावित गैर वनभूमि से लगे हुए वनक्षेत्र बीट पडरई वनकक्ष क्रमांक-1112 का केनोपी कवर/घनत्व 0.5 से 0.6 की वनस्पति उपस्थित है। प्रस्तावित गैर वनभूमि कक्ष क्रमांक-1112 से लगी हुई है तथा प्रस्तावित गैर वनभूमि में स्थित वन की स्थिति कक्ष क्रमांक-1112 के समानुपातिक है का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था।

2- उपरोक्त प्रकरण मे उप वनमण्डल अधिकारी, देवरी के द्वारा पुनः जांच कर प्रतिवेदन पत्र क्रमांक/1732 दिनांक 14.11.2022 के माध्यम से इस कार्यालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार विवरण निम्नानुसार है :-

प्रकरण मे प्रभावित वनभूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि वन परिक्षेत्र देवरी अंतर्गत ग्राम पडरईकलां खसरा नम्बर-261, 262, 263, 260, 258, 273, 276, 283/1/2, 285/2, 274, 265, 266, 267, 276, 264/1/2/3, कुल रकबा मे से 12.50 हेक्टेयर का संयुक्त निरीक्षण आवेदक संस्थान की उपस्थिति मे दिनांक 05.07.2022 को किया गया था। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त खसरों का पृथक-पृथक निरीक्षण न कराकर वन भूमि से लगी हुई एकजाई गैर वनभूमि का निरीक्षण कराया गया था, निरीक्षण दिनांक को खसरावार KML File से मिलान कराकर स्पष्ट निरीक्षण नहीं कराया गया था। उनके द्वारा आवेदित खसरों की एकजाई सीमांकन के आधार पर निरीक्षण किया गया था। जिस आधार पर मौका स्थिति का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था।

परिवेश पोर्टल से आवेदित खसरों की KML File डाउनलोड कर परीक्षण करने पर पाया गया आवेदक संस्था के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण दिनांक को परिवेश पोर्टल में दर्ज खसरा क्रमांक-258,273, 274, 276, 283, 285 कुल रकवा 4.46 हेक्टेयर निरीक्षण मौके पर न कराकर किन्हीं दूसरे खसरों का निरीक्षण कराया गया था। अतः उक्त विरोधाभाष की स्थिति संज्ञान में आने पर पुनः स्थल निरीक्षण हेतु उप वनमण्डल अधिकारी, देवरी के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1697 दिनांक 09.11.2022 को मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स को लेख किया गया जिसकी सूचना संबंधित प्रतिनिधि को उनके दूरभाष क्रमांक-9812503000 दिनांक 09.11.2022 को वाटसएप के माध्यम से भेजा जाकर दिनांक 12.11.2022 को मौके पर हल्का पटवारी को साथ रखकर एवं आवेदित खसरों का स्पष्ट सीमांकन व KML File साथ रखकर पुनः निरीक्षण कराने हेतु भेजा गया किन्तु दिनांक 12.11.2022 को आवेदक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

अतः दिनांक 12.11.2022 को आवेदन संस्था की अनुपस्थिति में आवेदित संस्था की ओर से परिवेश पोर्टल में अपलोड खसरों की के.एम.एल. फाईल को डाउनलोड कर मौका हल्का पटवारी-56 से आवेदित खसरों का KML File वार मिलान/परीक्षण कराकर पुष्टि उपरांत आवेदित खसरावार क्षेत्र घूमकर उनकी घनत्व वनक्षेत्र से दूरी आदि का परीक्षण किया गया। जिसका प्रकरणवार प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

1- प्रकरण क्रमांक-01 वन परिक्षेत्र हनुमना के ग्राम सरदमन के शासकीय भूमि के खसरा नम्बर 677/2क में खनिज पत्थर उत्खनन हेतु 2.80 हेक्टेयर वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक (FP/MP/MIN/152429/2022)

उक्त प्रकरण अंतर्गत आवेदित पोर्टल पर खसरा क्रमांक-260, 261, 262, 263 कुल रकवा 2.80 हेक्टेयर है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर की गई उक्त खसरे वनभूमि के कक्ष क्रमांक-1112 से लगा हुआ है। जिसमें 10 सेमी. या उससे अधिक गोलाई के लगभग 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर उपलब्ध है व मौके पर 0.4 से 0.5 घनत्व की वनस्पति उपलब्ध है एवं पटवारी अभिलेखों के अनुसार मौके पर उक्त गैर वनभूमि उपलब्ध है। इस प्रकार आवेदित खसरे वन विभाग के प्रबंधन की दृष्टि उपयुक्त है।

2- प्रकरण क्रमांक-02 वन परिक्षेत्र मऊगंज के ग्राम हर्रईगुजरान के शासकीय भूमि के खसरा नम्बर 2/1 में खनिज पत्थर उत्खनन हेतु 4.59 हेक्टेयर वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण कमांक (FP/MP/MIN/152432/2022)

उक्त प्रकरण अंतर्गत आवेदित पोर्टल पर खसरा क्रमांक-264/1,2,3, 265, 266, 267 कुल रकवा 4.59 हेक्टेयर है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर की गई उक्त खसरे वनभूमि के कक्ष क्रमांक-1112 से लगा हुआ है। जिसमें 10 सेमी. या उससे अधिक गोलाई के लगभग 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर उपलब्ध है व मौके पर 0.4 से 0.5 घनत्व की वनस्पति उपलब्ध है एवं पटवारी अभिलेखों के अनुसार मौके पर उक्त गैर वनभूमि उपलब्ध है। इस प्रकार आवेदित खसरे वन विभाग के प्रबंधन की दृष्टि उपयुक्त है।

इस प्रकार प्रकरण क्रमांक-01 एवं 02 मे वर्णित खसरा आपस मे एक दूसरे से संलग्न है। जो वन भूमि से लगे हुए है। अतः प्रकरण क्रमांक-01 एवं 02 मे परिवेश पोर्टल मे आवेदित खसरे वन विभाग के प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त है।

3- प्रकरण क्रमांक-03 वन परिक्षेत्र गढ़ाकोटा के ग्राम हर्रईसुजरान के शासकीय भूमि के खसरा नम्बर 2/1 मे खनिज पत्थर उत्खनन हेतु 4.46 हेक्टेयर वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र बावत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक (FP/MP/MIN/152431/2022)

उक्त प्रकरण अंतर्गत आवेदित पोर्टल पर खसरा क्रमांक-258,273, 274, 276, 283, 285 कुल रकबा 4.46 हेक्टेयर है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर की गई उक्त खसरे वनभूमि से लगे हुये नहीं है व वनक्षेत्र से 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। साथ ही उक्त खसरे आपस मे भी एक दूसरे से लगे हुए नहीं है उक्त खसरों मे लगभग 0.2 से 0.3 घनत्व की वनस्पति है। जो प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित 0.4 घनत्व की वनस्पति से कम है। साथ ही उक्त खसरो मे 10 से.मी. से उपर गोलाई के 1000 वृक्ष प्रति हेक्टेयर मौके पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त खसरे वन विभाग के प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

अतः निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित पोर्टल पर खसरा क्रमांक-258,273, 274, 276, 283, 285 कुल रकबा 4.46 हेक्टेयर मे 10 से.मी. से ऊपर गोलाई के 1000 वृक्ष प्रति हेक्टेयर मौके पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त खसरे वन विभाग के प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

अतः उप वनमण्डल अधिकारी, देवरी के द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उ.व.म.अ. का प्रतिवेदन।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सामान्य) वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2022/ 6018 सागर, दिनांक 30-11-22

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उप वनमण्डल अधिकारी, देवरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, देवरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सामान्य) वनमण्डल

कार्यालय वन सरंक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म0प्र0

Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in,

क्रमॉक/मा.चि./2023/8081 रीवा दिनॉक 21 .11.2023

प्रति ,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
वन भवन, तुलसीनगर,
लिंक रोड–2, भोपाल म0प्र0

विषयः– वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष पीएफ–399 के रकबा 2.21 हे. वन भूमि में सैंड पत्थर (अर्थात क्रेसर उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का– आवेदक स्वामी नित्यानन्द जी महराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक **FP/MP/MIN/152429/2022)**

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6–एमपीआर 010/2023–बीएचओ दिनांक 20.07.2023

2. आपका पत्र क्रमांक/एफ–1/837/2022/10–11/3290 दिनांक 25.07.2023

––––000––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र से विषयांकित परियोजना में बिन्दु क्रमांक 1, 3 एवं 7 की जानकारी वन मण्डलाधिकारी रीवा से चाही गई थी।

भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1 के अनुक्रम में वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पीएफ 603 में 7.55 हे. बिगड़े वन क्षेत्र का चयन कर 7500 पौधे रोपित करने की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 183 दिनांक 25.08.2023 से जारी कर केएमएल फाईल सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार राय)
भा.व.से.
वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

पृ.क्रमॉक/मा.चि./2023/8082 रीवा दिनॉक 21 .11.2023

प्रतिलिपि– वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल रीवा एवं सिंगरौली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

भाग-2 में क्र. 13(1)(2) में 7.55 ha

कार्यालय वन संरक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म0प्र0
Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in.

आदेश

रीवा,दिनांक 25-08-2023

क्रमांक/मा.चि./2023/183 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–1194/191/ 2022/नियम/चार, भोपाल दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली के पत्र क्रमांक/मा.चि./4466 दिनांक 24.08.2023 से वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पीएफ–399 के रकबा 2.21 हे., वन परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पीएफ–334 के रकबा 4.59 हे., वन कक्ष क्रमांक पीएफ–334 के रकबा 4.46 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु 03 परियोजनाओं में प्रस्तावित कुल वन भूमि रकबा 11.26 हे. के बदले वन मण्डल सिंगरौली परिक्षेत्र पश्चिम सरई रकबा 7.55 हे. की संशोधित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार कर तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु इस कार्यालय की ओर भेजे जाने पर पूर्व की जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 166 दिनांक 01.08.2023 को निरस्त कर प्राप्त संशोधित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की संशोधित तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है–

परियोजना/मद का नाम	कार्य विवरण	परिक्षेत्र	कार्य स्थल	कक्ष क्रमांक	कुल रकबा हे. में	कुल प्रस्तावित राशि रु. में
1. वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पीएफ–399 के रकबा 2.21 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु), FP/MP/MIN/152429/2022 2. वन मण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र मऊगंज वन कक्ष क्रमांक पीएफ–334 के रकबा 4.46 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) FP/MP/MIN/152431/2022 3. वन मण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पीएफ–334 के रकबा 4.59 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु), FP/MP/MIN/152432/2022 आवेदक स्वामी श्री नित्यानन्द महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा।	क्षतिपूर्ति वनीकरण	प0 सरई	समूद	पीएफ–603	7.55	5101700.00

शर्तें–

1. सभी क्षतिपूर्ति वनीकरण रोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. क्रमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
2. जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई एवं अक्टूबर माह में कराई जावे।
3. कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।
4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि लेने पर गुणांक की दर से मजदूरी दर में वृद्धि का प्रावधान किया गया है फिर भी यदि दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है, तो अन्तर की राशि सम्बन्धित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।
5. सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन अनिवार्य हो।

(राजेश कुमार राय)
भा.व.से.
वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

पृ.क्रमांक/मा.चि./2023/6215 रीवा,दिनांक 25-08-2023

प्रतिलिपि– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2023/ 1345 सागर, दिनांक 29.08.2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय :- वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक-PF-334 के रकवा 4.46 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का- आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/MIN/152431/2022

संदर्भ :-
1. आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/836/2022/10-11/3570 दिनांक 08.08.2023
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1309 दिनांक 24.08.2023
3. मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर का पृ.पत्र क्रमांक/1752 दिनांक 29.08.2023

--"--

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक-PF-334 के रकवा 4.46 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का-आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/MIN/152431/2022 में प्राप्त गैर वनभूमि का मौका स्थल निरीक्षण उपरांत उपलब्ध कराई जा रही गैर वनभूमि, वनभूमि से लगी हुई हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं के संबंध में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर के द्वारा तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2023/103 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सामान्य) वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2023/1346 सागर, दिनांक 29.08.2023

प्रतिलिपि :-

1- मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2- उप वनमण्डल अधिकारी, देवरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3- वन परिक्षेत्र अधिकारी, देवरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सामान्य) वनमण्डल